रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 1975/ज्येष्ठ 19, 1897
No. 152] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 1975/JYAISTHA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June 1975

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Passports Rules, 1967,—

(1) for Serial No. 7 and the entries relating thereto, the following Serial No. shall be substituted, namely :—

"7(a) Regional Passport Officer, Madras (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	The States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka and the Union Territory of Pondicherry.
(b) Assistant Passport Officer, Madras (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	Do.
(c) Public Relations Officer, Madras (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	Do.

(2) Serial Nos. 8, 9 and 10 shall be re-numbered as Serial Nos. 9, 10 and 11 thereof respectively, and before Serial No. 9 so re-numbered, the following Serial No. shall be inserted, namely:—

"8(a) Regional Passport Officer, Ernakulam (Regional Passport *and Emigration* Office, Ernakulam)	The State of Kerala and the Union Territory of Lakshadweep.

(o) Assistant Passport Officer, Ernakulam (Regional Passport *and Emigration* Office, Ernakulam)	The State of Kerala and the Union Territory of Lakshadweep.
(c) Public Relations Officer, Ernakulam (Regional Passport *and Emigration* Office, Ernakulam)	Do.

[No. VI/401/22/75]
V. C. T RIVEDI, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 1975

का० नि० 325(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियमावली, 1967 का और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियमावली, 1975 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1967 की अनुसूची में—

(1) क्रम संख्या 7 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या रख दी जाएगी, अर्थात्:—

"7(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, मद्रास)	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य तथा पांडिचेरी संघ प्रदेश ।
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, मद्रास)	वही
(ग) जन संपर्क अधिकारी, (मद्रास क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवास कार्यालय, मद्रास)	वही

(2) क्रम संख्या 8, 9 और 10 को पुनः संख्या देकर क्रमशः 9, 10 और 11 कर दी जाएगी और इस प्रकार पुनः संख्या देकर क्रम संख्या 9 से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या जोड़ दी जाएगी, अर्थात्—

"8(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अर्नाकुलम (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, अर्नाकुलम)	केरल राज्य तथा लक्ष्यद्वीप का संघ प्रदेश
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, अर्नाकुलम (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, अर्नाकुलम)	वही
(ग) जन संपर्क अधिकारी, अर्नाकुलम (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, अर्नाकुलम)	वही

[सं० वी–I/401/22/75]
वि० सि० त्रिवेदी सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975